

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना)
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना-800023

सूचना

विज्ञापन संख्या : 01/2026-27

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत संचालित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया, गया जी एवं चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना में भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, राजस्व सेवा एवं अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सांस्थिक/सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। च

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम तथा प्रावधानित नियमावली एवं सर्वे कार्यों के जानकार तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अन्य अधिनियमों/नियमों के जानकारी रखने वाले प्रशिक्षकों का पैनेल तैयार किया जाना है। प्रशिक्षकों के पैनेल निर्माण के लिए अर्हता एवं अन्य शर्तें निम्नवत् है :-

1. आवेदक भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार राजस्व सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त अथवा अन्य सेवाओं के पदाधिकारी जिन्होंने कम से कम दस (10) वर्ष राजस्व विभाग के अधीन किसी पद पर कार्य किया हो अथवा स्वतंत्र रूप से उक्त विषयों की विशेषज्ञता रखते हों।
2. राजस्व संबंधी अधिनियमों/नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, संकल्पों, अधिसूचनाओं आदि की व्यापक जानकारी रखते हों।
 - (क) काश्तकारी अधिनियम/Alluvion and Diluvion/भूमि सुधार/भूहदबंदी/अतिक्रमण/चकबंदी/भूदान/लोक मांग एवं वसूली/अभिलेख हस्तक/राजस्व न्यायालय प्रबंधन/अन्य।
 - (ख) खास महाल/भूमि विवाद/दाखिल-खारिज/भूमि संपरिवर्तन/BPPHT/विशेष सर्वे/राजस्व पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं दायित्व/भू-अर्जन/ऑनलाइन सेवाएँ/डिजिटल रूपान्तरण/अन्य।


विषय विशेषज्ञता

3. अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ (प्रेरक (Motivator)/योगा/विधि)
4. प्रशिक्षकों का मानदेय, प्रति व्याख्यान (Lecture) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश संख्या 620(3)/रा0 दिनांक 07.08.2025 के अनुरूप देय होगा, जो निम्नवत् है :-

क्रम	संसाधन व्यक्ति	बिहार राज्य से आमंत्रित प्रशिक्षक/अतिथि संसाधन व्यक्ति का मानदेय	बिहार राज्य के बाहर से आमंत्रित प्रशिक्षक/अतिथि संसाधन व्यक्ति का मानदेय
1	2	3	4
1	अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी	2000/- प्रति घंटा	5000/- प्रति घंटा
2	राज्य प्रशासनिक सेवा/पुलिस सेवा (अपर समाहर्ता से अन्यून) के कार्यरत/सवानिवृत्त पदाधिकारी	1500/- प्रति घंटा	4000/- प्रति घंटा

3	वरीय अधिवक्ता / महाविद्यालयों के कार्यरत / सेवानिवृत्त व्याख्याता / प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यरत / सेवानिवृत्त निदेशक / व्याख्याता	1500 /- प्रति घंटा	4000 /- प्रति घंटा
4	राजस्व सेवा / अन्य राज्य स्तरीय सेवा के कार्यरत / सेवानिवृत्त पदाधिकारी		
5	राज्य के सचिवालय सेवा के कार्यरत / सेवा निवृत्त पदाधिकारी	1200 /- प्रति घंटा	3000 /- प्रति घंटा
6	विभिन्न विषयों के विषय-वस्तु विशेषज्ञ		

5. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा पैनल का तैयार किया जाएगा।
6. इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में अपने फोटो के साथ पूर्ण आवेदन यथावश्यक अनुलग्नकों के साथ निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को दिनांक 08.06.2026... के 5:00.....पूर्वाह्न/अपराह्न तक डाक से अथवा ई-मेल (directorlrs@gmail.com) पर उपलब्ध करा सकेंगे।
7. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण बिना कारण बताए इस विज्ञापन को रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे।
8. आवेदन प्रपत्र भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के बेवसाईट www.dlrs.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।


(सुहर्ष भगत)
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण।

आवेदन का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :
(क) हिन्दी में :
(ख) अंग्रेजी में :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पुरुष/महिला :
5. स्थायी पता :
.....
.....
6. पत्राचार का पता :
.....
.....
7. मोबाईल नं० : ई०मेल आई०डी० :
8. किस विभाग में कार्यरत है, पूर्ण विवरण :
(क) विभाग का नाम :
(ख) पदनाम :
(ग) सेवा का नाम, भा०प्र०से० / बि०प्र०से० / बि०रा०से० / अन्य :
9. किस विभाग से सेवा निवृत्त हुयें, पूर्ण विवरण :
(क) विभाग का नाम :
(ख) पदनाम :
(ग) सेवा का नाम, भा०प्र०से० / बि०प्र०से० / बि०रा०से० / अन्य :
10. यदि स्वतंत्र कार्यरत हो तो विवरण :
11. राजस्व विभाग से संबंधित अधिनियम/नियमावली का विवरण जिसके संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त है :
.....

फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर